



क्रमांक 10.02.26/स्था./अ.व्या./2026

अम्बिकापुर, दिनांक 02.02.2026

—: अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन :—

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में सहायक प्राध्यापक के रिक्त पद हिन्दी के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित आर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 10.02.2026 को सायं 04:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें।) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के वेबसाईट <https://www.rmdgirlspgcollege.ac.in> पर अवलोकन कर सकते हैं।

प्राचार्य

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, अम्बिकापुर



क्रमांक 1081/स्था./अ.व्या./2026

अम्बिकापुर, दिनांक 02.02.2026

—: अतिथि व्याख्याता (हिन्दी) हेतु विस्तृत विज्ञापन :—

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1 दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर में विषय हिन्दी में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन दिनांक 10.02.2026 को सायं 04:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमा:- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

अतिथि व्याख्याता की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगी:-

- श्रेणी-1 संबंधित विषय में पी-एचडी.
श्रेणी-2 नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण
श्रेणी-3 संबंधित विषय में एम.फिल धारक

अतिथि व्याख्याता हेतु रिक्त पद का विवरण

क्रमांक	विषय	सहायक प्राध्यापक
01	हिन्दी	01

शर्त:-

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम. फिल/पी-एचडी, अनुभव प्रमाण पत्र, शोधपत्र संलग्न करें।
02. दिनांक 10.02.2026 तक समय 04:30 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जायेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा।
03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 13.02.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा।



05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 16.02.2026 तक होगी।
06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18.02.2026 को किया जायेगा।
07. संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत् अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।
08. अवकाश में प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता के अवकाश उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वैकल्पिक अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो जायेगी।
09. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
10. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
11. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
12. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा:-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/-	300/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/- प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/- प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए			
1	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/-	350/-
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/- प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/- प्रतिमाह अधिकतम)

13. आवेदन बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखकर कार्यालय का पता- प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.), पिन:- 497001 पर दिनांक 10.02.2026 समय सायं 04:30 बजे तक प्रस्तुत करना होगा।
14. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
15. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लागतार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
16. अतिथि व्याख्याताओं को सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
17. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम,



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
NAAC Grade= 'A' अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छत्तीसगढ़) College Code:- 3402
Office: 07774-235266 || Mail ID: ggpgcollege.ambikapur@rediffmail.com || website: <http://rmdgirlspgcollege.ac.in>

क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

18. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।
19. अन्य शेष शर्तें अतिथि व्याख्याता नीति 2024 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशों के अधीन होगा।

प्राचार्य

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, अम्बिकापुर
अम्बिकापुर, दिनांक 02.02.2026

पृ. क्रमांक 1082/स्था./अ.व्या./2026

प्रतिलिपि:-

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।
02. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)।
03. कार्यालयीन प्रति।

प्राचार्य

शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, अम्बिकापुर